(199)

11045 20/MAY/09

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु 5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 090782

ADVOCATE

CHIEF TREASURY OFFICER

<u>लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण</u>

1. भूमि का प्रकार – कृषि
(कृषि / आवासीय / वाणिज्यिक / औद्योगिक / अन्य)
2. वार्ड परगना डासना
3. मौहल्ला / ग्राम – ग्राम नायफल
4. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नम्बर) खाता नं0 58 के खसरा नं0 83ख
5. मापन की इकाई (हैक्टेयर / वर्ग मीटर) हैक्टेयर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल 0.0140 हैक्टेयर
7. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार) 200 मीटर से अधिक
8. सम्पत्ति का प्रकार भूमि कृषि
9. प्रतिफल की धनराशि 2,52,000/–रूपये
10. दिया गया स्टाम्प 17,700/–रूपये
11- पेड़ कुँआ नलकूप व बोरिंग व आबादी नही है

दयाचन्द जयचन्द धर्मेन्द्र

राजन्द्र जयवीर

हरवीर

क्रम संख्या ... विक्रेता का नाम ...
लाइसेंस ... की संख्या ...
स्टाम्प ... का नाम व पूरा पता ...
...
स्टाम्प ... अवधि ...

ओ० एस० कुमार बंसल, स्टाम्प विक्रेता
लाइसेंस नम्बर 352
... 31 मार्च
... गाजियाबाद

विक्रय पत्र

252,000.00 / 252,000.00

5,040.00	100	5,140.00	5,040
फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	...

... पॉलिकार्ड
श्री मै० लीलैक प्रमोटर्स द्वारा राहुल वर्मा
पुत्र श्री देवेन्द्र वर्मा
व्यवसाय व्यापार/अन्य/स्त्री
निवासी स्थायी 33 कम्युनिटी सैन्टर दिल्ली
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 24/12/2013 समय 3:50PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबन्धक,प्रथम
गाजियाबाद
24/12/2013

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि ... प्रलेखानुसार उक्त
विक्रेता

श्री दयाचंद
पुत्र श्री रामचंदर
पेशा व्यापार/अन्य/स्त्री
निवासी महरौली गाबाद

श्री जयचंद
पुत्र श्री रामचंदर
पेशा व्यापार/अन्य/स्त्री
निवासी महरौली गाबाद

श्री ज्ञानेन्द
पुत्र श्री रामचंदर
पेशा व्यापार/अन्य/स्त्री
निवासी महरौली गाबाद

श्री [redacted]
पुत्र श्री रामचंदर
पेशा व्यापार/अन्य/स्त्री
निवासी महरौली गाबाद

क्रेता

श्री मै० लीलैक प्रमोटर्स द्वारा राहुल वर्मा
पुत्र श्री देवेन्द्र वर्मा
पेशा व्यापार/अन्य/स्त्री
निवासी 33 कम्युनिटी सैन्टर दिल्ली

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पांच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 090783

(2)

प्रथम पक्ष की संख्या (9)   द्वितीय पक्ष की संख्या (1)

विक्रेता का विवरण–

1 नाम : दयाचंद

पिता का नाम : श्री रामचंदर

स्थाई पता ग्राम महरौली परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद

पहचानपत्र FVX-086663

2 नाम : जयचंद

पिता का नाम : श्री रामचंदर

स्थाई पता ग्राम महरौली परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद

पहचानपत्र UP/79/339/12/8002

3 नाम : ज्ञानेन्द्र

पिता का नाम : श्री रामचंदर 789462

स्थाई पता ग्राम महरौली परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद

दयाचन्द जयचन्द ज्ञानेन्द्र

राजवीर जयवीर

हरवीर

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन........................

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता........................

....

स्टाम्प की धनराशि..

अनिल कुमार कंसल स्टाम्प विक्रेता
लाईसेंस नम्बर 352
लाईसेंस की अवधि 31 मार्च
तहसील कम्पाउण्ड, गाजियाबाद

श्री राजवीर
पुत्र श्री टीकम
पेशा व्यापार/अन्य/स्त्री
निवासी महरौली गाबाद

श्री जयवीर
पुत्र श्री टीकम
पेशा व्यापार/अन्य/स्त्री
निवासी महरौली गाबाद

श्री टीकम
पुत्र श्री कल्लू
पेशा व्यापार/अन्य/स्त्री
निवासी महरौली गाबाद

श्री हरवीर
पुत्र श्री पीतम
पेशा व्यापार/अन्य/स्त्री
निवासी महरौली गाबाद

श्री विजेन्द्र
पुत्र श्री पीतम
पेशा व्यापार/अन्य/स्त्री
निवासी महरौली गाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

OFFICE OF THE TREASURY
GHAZIABAD

19 DEC 2013

रु.5000

Chief Treasury Officer

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 787916

4. नाम : राजेन्द्र
पिता का नाम : श्री रामचंदर
स्थाई पता : ग्राम महरौली परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद
पेनकार्ड UP/79/333/122073

5. नाम : राजवीर
पिता का नाम : श्री टीकम
स्थाई पता : ग्राम महरौली परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद
पेनकार्ड UP/79/388/122/224

6. नाम : जयवीर
पिता का नाम : श्री टीकम
स्थाई पता : ग्राम महरौली परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद
पेनकार्ड UP/79/388/122/226

7. नाम : टीकम
पिता का नाम : श्री कल्लू
स्थाई पता ग्राम महरौली परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद
पेनकार्ड UP/79/388/122/222

देयाचन्द जयचन्द राजेन्द्र

राजवीर जयवीर

इख्वार

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता..............................

स्टाम्प की धनराशि...5000...........................

राजेश कुमार स्टाम्प विक्रेता
लाईसैंस नम्बर 350
लाईसैंस की अवधि 31 मार्च
... गाजियाबाद

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री राजेन्द्र सिंह
पुत्र श्री महावीर सिंह
पेशा व्यापार/अन्य/स्त्री
निवासी महरौली गाजियाबाद

व श्री महीपाल
पुत्र श्री किरन सिंह शर्मा
पेशा व्यापार/अन्य/स्त्री
निवासी महरौली गाजियाबाद

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये है।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबन्धक,प्रथम
गाजियाबाद
24/12/2013

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AG 522561

Chief Treasury Officer

(4)

8. नाम : हरवीर
पिता का नाम : श्री पीतम
स्थाई पता ग्राम महरौली परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद
[illegible] ZMR-0465906

9. नाम : विजेन्द्र
पिता का नाम : श्री पीतम
स्थाई पता ग्राम महरौली परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद
[illegible] FVX-650421

<u>क्रेता का विवरण:-</u>

1. नाम : मैसर्स लीलेक प्रमोटर्स एण्ड डवलपर्स प्रा० लि० द्वारा श्री राहुल वर्मा
पिता का नाम : श्री देवेन्द्र वर्मा,
स्थाई पता : 33, कम्यूनिटी सैंटर न्यू फ्रैन्डस कालौनी नई दिल्ली
डी० एल० नं० : R-38560/NT/GZB/07

देवीचन्द जयचन्द नगेन्द्र

विजेन्द्र

राजवीर जयवीर

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ...... (handwritten, illegible)

स्टाम्प का मूल्य 1000

अनिल कुमार कंसल [illegible] विक्रेता
लाईसेंस नम्बर 352
[illegible]
[illegible]

विक्रेता

Registration No 11045 Year 2,017 Book No 1

0101 दयाचंद
[illegible]

0102 जयचंद
[illegible]

0103 ज्ञानेन्द्र
[illegible]

0104 राजेन्द्र
[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

19 DEC 2008

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AG 522562

Chief Treasury Officer

(5)

विक्रय पत्र

विक्रय पत्र अंकन : 2,62,000.00 रुपये
स्टाम्प पेपर : 17,700 रुपये

हम कि दयाचंद व जयचंद व ज्ञानेन्द्र व राजेन्द्र पुत्रगण रामचंदर व राजवीर व जयवीर पुत्रगण टीकम व टीकम पुत्र कल्लू व हरवीर व विजेन्द्र पुत्रगण पीतम निवासी–ग्राम महरौली व परगना डासना तहसील व जिल गाजियाबाद। (फरीकअव्वल / विक्रेता)।

एवम

मैसर्स लीलेक प्रमोटर्स एण्ड डवलपर्स प्रा0 लि0 पंजीकृत कार्यालय 33, कम्यूनिटी सैंटर न्यू फ्रेन्डस कालौनी नई दिल्ली द्वारा राहुल वर्मा पुत्र श्री देवेन्द्र वर्मा निवासी– 33, कम्यूनिटी सैंटर न्यू फ्रेन्डस कालोनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी (फरीक दोयम / क्रेता)।

दयाचन्द जयचन्द ज्ञानेन्द्र

हरवीर

राजवीर जयवीर

ADVOCATE

24 DEC 2013

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

अनिल कुमार कंसल स्टाम्प विक्रेता
लाईसेंस नम्बर 352
लाईसेंस की अवधि 31 मार्च
[illegible]

विक्रेता

Registration No : 11043 Year 2,013 Book No. : 1

0105 राजबीर
टीकम
[illegible]
[illegible]

0106 जयबीर
टीकम
[illegible]
[illegible]

0107 टीकम
[illegible]
[illegible]
[illegible]

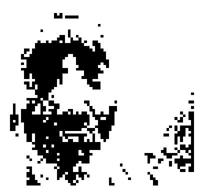

0108 हरबीर
टीकम
[illegible]
[illegible]

[illegible] LAND IN KHATA No. 59 KHASRA No. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] HECT.

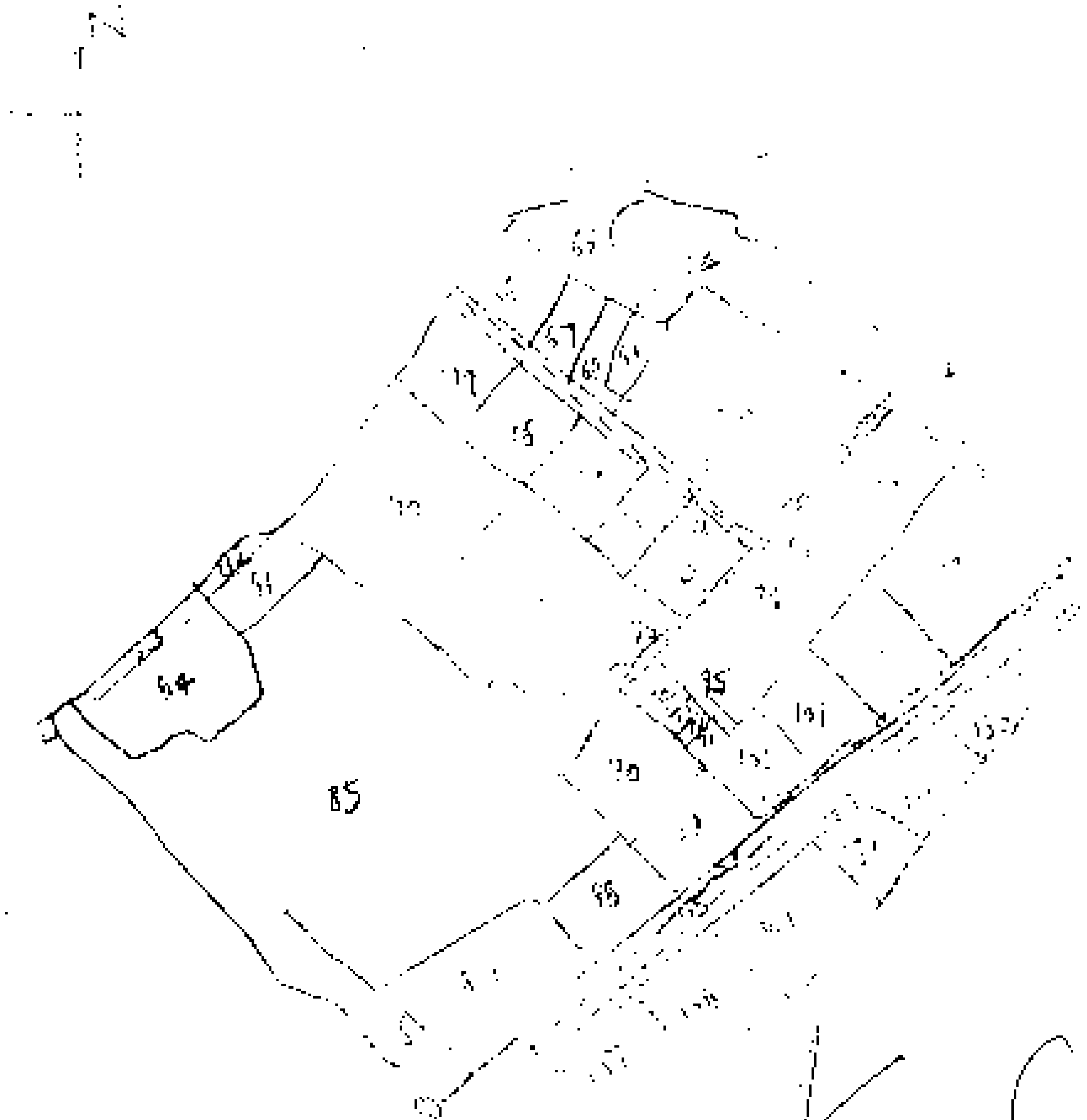

SINGH ASSOCIATES
Architect Engineer
H.P.D.A. Lic. No. 36.
[illegible]

[illegible]

पत्रावलि प्रपत्र सं० 11045/13
के साथ प्रस्तुत हुआ

मु० ले० प्रभारी

भारतीय गैर न्यायिक

OFFICE OF THE TREASURY
GHAZIABAD
19 DEC 2013
Chief Treasury Officer

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH S 616243

विक्रीत भूमि का विवरण

(1) ग्राम नायफल परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद (उ0प्र0), में स्थित कृषि भूमि खाता नं0 59 के खसरा नं0 83ख रकबा 0.031 हैक्टे0 मे से शेष सम्पूर्ण भाग रकबा 0.0140 हैक्टे0 के प्रथम पक्ष विक्रेतागण अनुसार खतौनी 1416--1421 फसली पूर्णतया स्वामी व विक्रय अधिकारी, बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है, का बैनामा हाजा में विक्रय किया जा रहा है।

(2) विक्रित भूमि कृषि भूमि है। जो किसी भी मुख्य मार्ग अथवा लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है। भूमि मुख्य मार्ग से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा संक्रमणीय भूमिधरी की भूमि है। जिसका सरकारी सर्किल रेट 1,75,00,000/–रूपये प्रति हैक्टेयर है लेकिन प्रथम पक्ष ने सौदा द्वितीय पक्ष से रू01,80,00,000/– प्रति हैक्टेयर की दर से अंकन *2,52,000/–* रूपये (दो लाख बावन हजार रूपये मात्र) में तय है।

ADVOCATE

क्रम संख्या ... 2/1/ 176 ... जिसके लिए ...

स्टाम्प क्रय करने की तारीख ...

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ...

स्टाम्प की धनराशि ...

अनिल कुमार कंसल स्टाम्प विक्रेता

लाईसेंस नम्बर 352

लाईसेंस की अवधि 31 मार्च

विक्रेता

Registration No. : 11045 Year : 2,013 Book No. : 1

0109 विक्रेता

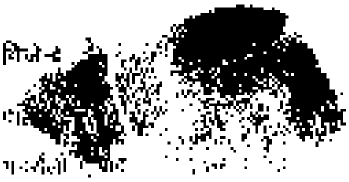

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

रु. 100

16 DEC 2013

Chief Treasury Officer

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 406274

(3) विक्रेतागण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से नहीं हैं। विक्रेतागण ने इस आशय का अपना श्रीमान तहसीलदार से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। विक्रित भूमि ग्राम समाज, भूदान, वक्फ, पट्टे आदि की तथा निष्क्रान्ति व शत्रु संपत्ति नहीं है और न ही इस पर कोई किसी प्रकार का विवाद है विक्रीत भूमि कृषि भूमि है जिसके विक्रय में स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) का सत्यतापूर्वक अनुपालन किया गया है।

(4) विक्रेतागण ने विक्रीत भूमि का प्रमाणित खसरा, खतौनी, पहचान पत्र विक्रय पत्र के साथ संलग्न किया है।

क्रम संख्या .... विक्रय की तिथि ....

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ....

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ....

....

स्टाम्प की धनराशि ....

अखिल कुमार कंसल स्टाम्प विक्रेता

लाईसेंस नम्बर 352

लाईसेंस की अवधि 31 मार्च

[illegible]

क्रेता

Registration No. [illegible] Year : 2013 Book No. 1

0201 मै0 लोकेश प्रमोटर्स द्वारा राहुल वर्मा

[illegible]

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

16 DEC 2013

Chief Treasury Officer

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

8S 406275

(8)

(5) विक्रीत भूमि उक्त आज दिन तक हम फरीक अव्वल (विक्रेतागण) की ओर से हर प्रकार के बन्धक, भार व सरकारी देनदारी आदि से मुक्त है। कहीं अन्य जगहआड, रहन, बय, हिबै, महायदावय व जमानत सरकारी व अर्द्ध सरकारी व निजी रूपआदि मे ग्रस्त नहीं है। और न उक्त पर कोई बैंक ऋण व बिजली या अन्य किसीप्रकार का ड्यूज है। इस विक्रय भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद--ग्रस्तमामला किसी भी न्यायालय व सरकारी व अर्द्धसरकारी विभाग/कार्यालय में न तो दर्ज है और न ही लम्बित है। और न ही किसी निर्णीत आदेश का क्रियान्वयन ही लम्बित है।

(6) विक्रीत मिल्कियत उक्त के विक्रय में कोई दोष व त्रुटि नही है हर प्रकार के वाद विवाद से मुक्त है उपरोक्त वर्णित/उल्लिखित भूमि के संबंध में मुझ विक्रेतागण ने किसी अन्य व्यक्ति, कम्पनी आदि के हक में कोई मौखिक करार, वसीयतनामा व विक्रय अनुबंध-पत्र, विक्रय पत्र, किसी भी कार्यालय में पंजीकृत

क्रम संख्या 231/2.2 विलेख का नाम..........

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन..........

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता.......... [illegible]

....

स्टाम्प की धनराशि.......... 100

अनिल कुमार कंसल स्टाम्प विक्रेता

लाईसेंस नम्बर 352

लाईसेंस की अवधि 31 मार्च

कलेक्ट्रेट कम्पाउन्ड, गाजियाबाद

व अपंजीकृत, पूर्व में न तो निष्पादित किया है और न ही कराया है और न ही कही नोटरी द्वारा सत्यापित हुआ है। यदि भविष्य में इस संबध में कोई भी वसीयतनामा, विक्रयअनुबंध/विक्रय पत्र प्रस्तुत करके विवाद उत्पन्न किया जाता है तो वह विवाद अमान्य व निष्प्रभावी होगा। तथा इसके जिम्मेदार फरीक अव्वल व उनके वारिसान होगे।

(7) हम विक्रेतागण को विक्रय पत्र में वर्णित उक्त खाता नं0 59 के खसरा नं0 83ख रकबा 0.031 हैक्टे0 मे से शेष सम्पूर्ण भाग रकबा 0.0140 हैक्टे0 स्थित ग्राम नायफल परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद उसके हिस्से के पूर्ण भाग को बेचने का स्वतन्त्र अधिकार पूर्णतः प्राप्त है। हम विक्रेतागण को वास्ते तरक्की काश्त एवं अन्य निजी आवश्यकता हेतू पैसों की आवश्यकता है तथा मुझे अपनी उक्त भूमि की उचित कीमत क्रेता से मिल रही है। अतः हम विक्रेतागण ने अपनी खुशी से बिना किसी दबाव व धमकाव के, वरजामंदी, शुद्व बुद्वि व स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अपने पारिवारिक सहमति से मय समस्त अधिकार मालिकाना, काबिजाना, दाखिली–खारिजी, काश्त भराई, हर किस्म कब्जा गर्ज के जो कुछ भी अधिकार हम विक्रेतागण को विक्रीत भूमि से प्राप्त थे उससे कुछ बचा हुआ नहीं रहा है आदि आदि को आज की तारीख में विक्रय धनराशी अंकन– *2,52,000/–* रूपये (दो लाख बावन हजार रूपये मात्र) जिसके आधे अंकन 1,26,000/– रूपये (एक लाख छब्बीस हजार रूपये मात्र) होते है के एवज मे बहाथ फरीक दोयम क्रेता उपरोक्त मैसर्स लीलेक प्रमोटर्स एण्ड डवलपर्स प्रा0 लि0 पंजीकृत कार्यालय 33, कम्यूनिटी सैंटर न्यू फ्रेन्डस कालौनी नई दिल्ली द्वारा राहुल वर्मा पुत्र श्री देवेन्द्र वर्मा निवासी 33, कम्यूनिटी सैंटर न्यू

फ्रेन्डस कालोनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी द्वितीय पक्ष को बेच कर दिया है यानि कतई बेच दिया है और भूमि की कुल विक्रय धनराशी हम विक्रेतागण ने क्रेता से प्राप्त कर ली है। अब कुछ भी विक्रय धनराशी बाकी नही रही है।

(8) विक्रय भूमि का कब्जा मौके पर क्रेता का पूर्ण वास्तविक रूप से करा दिया है जिसके क्रेता पूर्णतः मालिक काबिज दाखिल बन गये है उनको सर्वथा अधिकार है कि वह उक्त भूमि को जिस प्रकार चाहे बहैसियत मालकाना प्रयोग में लावे।

(9) विक्रेतागण, विक्रीत भूमि के बाबत समस्त कागजात मे बजरिये बैनामा दाखिल खारिज मालकागजात में कराकर क्रेता का नाम दर्ज करवायेगा या वो स्वंय दर्ज करवा सकते है तथा आवष्यक प्रपत्रों पर जहाँ चाहे हस्ताक्षर हम फरीक अव्वल से करा सकते है, हम फरीक अव्वल को कोई एतराज नहीं होगा।

(10) अतः अब विक्रय पश्चात विक्रीत भूमि की मिलकियत भूमि में निहित हित व उसके मूल्य धन तथा किसी अंश से विक्रेतागण व वारिसान विक्रेतागण का, अब कोई संबध बाकी नहीं रहा और न कभी रहेगा।

(11) विक्रीत भूमि पर आज दिन तक फरीक अव्वल/विक्रेतागण की ओर कोई भारनिकला और निकला हुआ भार क्रेता या स्थानापन को अपने पास से अदा करना पडा अथवा विक्रेतागण के अनाधिकार रो या वारिसान विक्रेतागण की दावेदारी या किसी कानूनी नुक्स आदि से विक्रय भूमि कुल अथवा उसका कोई अंष क्रेता या उसके वारिसान या स्थानापन के कब्जे मालकाना से निकल जाये, तो हर ऐसी दषा के उत्पन्न होने पर फरीक अव्वल/विक्रेतागण व उसके उत्तराधिकारीगण पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे तथा क्रेता व उसके स्थानापन व उत्तराधिकारीगणों को पूर्ण अधिकार होगा कि अपने पास से अदा किये गये भार की तथा कब्जे से निकल जाने वाली भूमि की धनराशी को मय हर्जे खर्चे प्रथम पक्ष विक्रेतागण व विक्रेतागण के वारिसान की चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल करा सकते है जिस पर फरीक अव्वल विक्रेतागण को कोई आपत्ति नही होगी।

[redacted]

(12) विक्रय पत्र का समस्त खर्चा क्रेता ने वहन किया है। क्रेता कम्पनी का पैन नं0 AABCL2530L है ।

(13) अतः यह विक्रय पत्र खूब सोच समझकर, सुनकर पढ़ कर गवाहों की उपस्थिति में लिख दिया गया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें।

(14) विक्रेतागण ने विक्रीत भूमि रकबई 0.0140 हैक्टेयर, खाता नं0 59 के खसरा नंबर 83ख स्थित ग्राम नायफल परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद के निमित्त निम्न विवरण के अनुसार विक्रय धनराशी प्राप्त कर ली है:–

(15) यस बैंक लि0, नई दिल्ली चैक नंबर 007214 अंकन *25,200/* रूपये (पच्चीस हजार दो सौ रूपये मात्र) दिनांकित ....व चैक नंबर 007218 अंकन *25,200/-* रूपये (पच्चीस हजार दो सौ रूपये मात्र) दिनांकित .... व चैक नंबर 007221 अंकन *25,200/-* रूपये (पच्चीस हजार दो सौ रूपये मात्र) दिनांकित ....व चैक नंबर 007224 अंकन *25,200/-* रूपये (पच्चीस हजार दो सौ रूपये मात्र) दिनांकित .... व चैक नंबर 007229 अंकन *25,200/-* रूपये (पच्चीस हजार दो सौ रूपये मात्र) दिनांकित ....

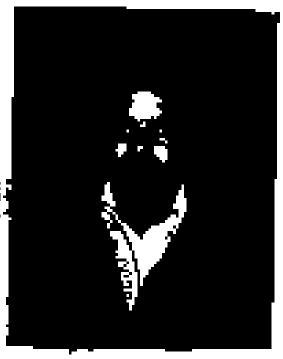

व चैक नंबर 007235 अंकन *25,200/–* रूपये (पच्चीस हजार दो सौ रूपये मात्र) दिनांकित .... व चैक नंबर 007237 अंकन *50,400/–* रूपये (पचास हजार चार सौ रूपये मात्र) दिनांकित. ....व चैक नंबर 007240 अंकन *25,200/–* रूपये (पच्चीस हजार दो सौ रूपये मात्र) दिनांकित ....व चैक नंबर 007243 अंकन *25,200/–* रूपये (पच्चीस हजार दो सौ रूपये मात्र) दिनांकित ....फरीक अव्वल द्वारा अंतिम रूप से प्राप्त कर लिये गये है।

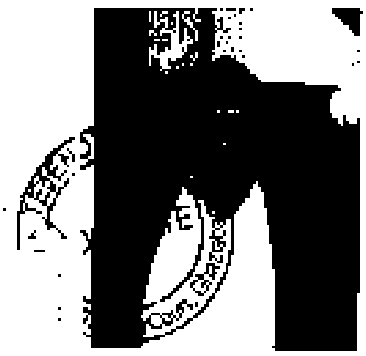

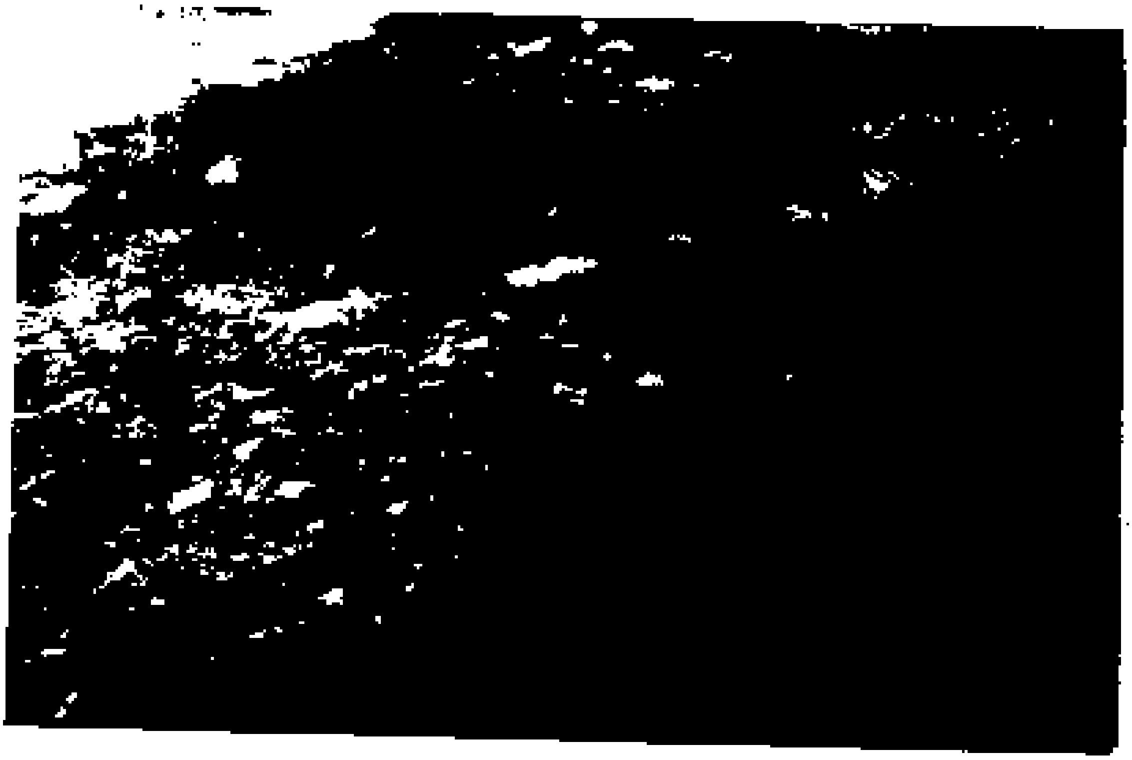

(हस्ताक्षर / निशानी अंगूठा)
फरीक अव्वल (विक्रेतागण)

(हस्ताक्षर / निशानी अंगूठा)
फरीक दोयम (क्रेता)

गवाह नं0 1

गवाह नं0 2

तहरीर दिनांक 24.12.2013 मसौदा तेजेन्द्र सिंह एडवोकेट गाजियाबाद

आज दिनांक **24/12/2013** को

बही सं. **1** जिल्द सं. **11674**

पृष्ठ सं. **95** से **128** पर क्रमांक **11045**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबन्धक,प्रथम

गाजियाबाद

24/12/2013

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

16 DEC 20..

Chief Treasury Officer

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH **अनुबन्ध पत्र** BS 406276

यह अनुबन्ध पत्र आज दिनांक .... स्थान .... में श्री.................... .... पुत्र/पति.......................... निवासी ग्राम.................... परगना................ तहसील .... व जिला ....

प्रथम पक्ष

एवं

मै0 .... पंजीकृत कार्यालय 33 कम्यूनिटी सेंटर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली द्वारा .... पुत्र..........................

द्वितीय पक्ष

विदित हो कि प्रथम पक्ष ग्राम....[illegible]........ परगना व तहसील....[illegible].... जिला....[illegible]........ में स्थित भूमि खाता सं0.................... खसरा सं.................................... कुल रकबा.............. हैक्टेयर (अपने सम्पूर्ण भाग) का संक्रमणीय भूमिधर मालिक, काबिज है। राजपत्रों में उक्त भूमि पर प्रथम पक्ष का नाम दर्ज है कोई अन्य व्यक्ति उक्त भूमि में किसी प्रकार का हकदार व हिस्सेदार नही है। उक्त भूमि पर अविभाजित परिवार का या कोई अन्य पारिवारिक वाद विवाद या कोई केस नही चल रहा है।

दयाचन्द जयचन्द

राजवीर जयवीर

क्रम संख्या...... [illegible] ...विक्रय की तिथि......

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन......

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता...... [illegible]

......

स्टाम्प की धनराशि...... [illegible]

अनिल कुमार कौशल स्टाम्प विक्रेता

लाईसेंस नम्बर 352

लाईसेंस की अवधि 31 मार्च

कलेक्ट्रेट कम्पाउन्ड, गाजियाबाद

प्रथम पक्ष की उक्त भूमि आज की तारीख तक हर प्रकार के कर्जे सरकारी व गैर सरकारी आदि से पाक व साफ है।

यह कि प्रथम पक्ष आज दिनांक .... को अपनी उक्त भूमि को द्वितीय पक्ष के पक्ष में विक्रय कर दिया है। जोकि सब रजिस्ट्रार .... कार्यालय में बही सं0 .... के पुस्तक सं0................ पृष्ठ.................... पर क्रम सं0 ....पर दर्ज है।

प्रथम पक्ष उक्त विक्रय के फलस्वरुप सम्पूर्ण प्रतिफल की धनराशि द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर लिये है। यह है कि प्रथम पक्ष को प्रतिफल धनराशि के अलावा उसके सम्पूर्ण हिस्से पर .... रुपए प्रति वर्गमीटर के हिसाब से रु0............../– द्वारा चैक नं. .... दिनांक .... बैंक.................... द्वितीय पक्ष द्वारा दिया जा रहा है जिसके फलस्वरुप निम्नलिखित शर्तों की पाबन्दी दोनों पक्षों व उनके वारिसान पर रहेगी।

1. यह कि विक्रीत भूमि की निर्धारित मूल्य धनराशि अंकन........................ रुपए व उक्त भूमि पर उत्पन्न अन्य किसी भी अनुतोष लाभ या पुनर्वास हेतु आवंटित प्लाट की एवज में प्राप्त होने वाली धनराशि रु. .... प्रति वर्गमीटर के हिसाब से निर्धारित धनराशि........................... दोनों पक्षों को मान्य है।

2. यह कि प्रथम पक्ष मौके पर कब्जा द्वितीय पक्ष को करा दिया है।

3. यह कि विक्रीत भूमि पर प्रथम पक्ष का कोई भी हक या अधिकार शेष नही रहा समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष को प्राप्त हो गये है।

4. यह कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में पुनर्वास योजना के तहत यदि भविष्य में किसी भी प्रकार के भूखण्डों का वितरण शासन या किसी निकाय द्वारा किया जाता है तो उस पर प्रथम पक्ष को कोई अधिकार नही होगा। समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष के होगें। इन अधिकारों के अंतरण हेतु प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से रु......................... द्वारा चैक सं0.... .... दिनांक..................... बैंक .... से प्राप्त कर लिये है।

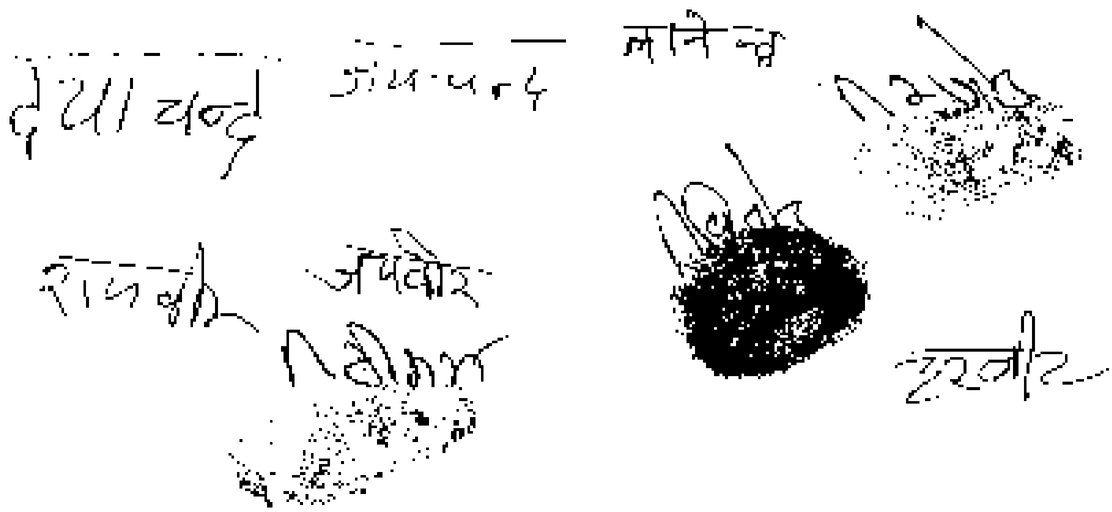

5. यह कि प्रथम पक्ष का विक्रय के फलस्वरुप उक्त भूमि पर लगी फसल, नलकूप या किसी भी परिसम्पत्ति पर कोई अधिकार नही होगा।

अतः यह अनुबन्ध पत्र लिख दिया है ताकि भविष्य में काम आवे।

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

गवाह

1.

2.